

उत्तराखण्ड में UCC को राष्ट्रपति की मंजूरी

चर्चा में क्यों?

उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा पारित [समान नागरिकी संहिता](#) विधियक राष्ट्रपति द्वाारा मंजूर की सहमति के साथ कानून बन गया है।

- आज़ादी के बाद UCC अपनाने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है।

मुख्य बंदि:

- राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत समान नागरिकी संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 को अपनी सहमति दी।
- UCC सामाजिक समानता के महत्त्व को सदिध कर समरसता को बढावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- राज्य में इसके लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिला उत्पीडन पर भी अंकुश लगेगा।

समान नागरिकी संहिता

- समान नागरिकी संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य की नीति के नदिशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy- DPSP) का अंग है।
- ये नदिशक तत्त्व कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, लेकिन नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं।
 - UCC का कुछ लोगों द्वारा राष्ट्रीय अखंडता और लैंगिक न्याय को बढावा देने के एक तरीके के रूप में समर्थन किया जाता है तो कुछ लोगों द्वारा इसे धार्मिक स्वतंत्रता तथा विविधता के लिये खतरा बताकर इसका वरिोध किया जाता है।
- भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिकी संहिता लागू है। वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता के बाद गोवा ने अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बनाये रखा, जिसे गोवा नागरिकी संहिता (Goa Civil Code) के रूप में जाना जाता है।
- शेष भारत अपनी धार्मिक या सामुदायिक पहचान के आधार पर विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों का पालन करता है। शेष भारत में धार्मिक या सामुदायिक पहचान के आधार पर विभिन्न पर्सनल लॉज़ (personal laws) का पालन किया जाता है।

अनुच्छेद 201

- इसमें कहा गया है कि जब कोई विधियक राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित होता है, तो राष्ट्रपति विधियक पर सहमति दे सकता है या उस पर रोक लगा सकता है।
- राष्ट्रपति विधियक पर पुनर्विचार करने के लिये राज्यपाल को उसे सदन या राज्य के विधानमंडल के सदनों को वापस भेजने का नदिदेश भी दे सकता है।